NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 10-01-2025

विषय सूची

हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के संबंध में चिंताएँ

18 वाँ प्रवासी भारतीय दिवस एवं भारतीय डायस्पोरा (Indian Diaspora)

इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना

जीनोम इंडिया परियोजना पूर्ण

तिरुपति में भगदड़

संक्षिप्त समाचार

भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल

जेड-मोड़ सुरंग (Z-Morh Tunnel)

मेक्सिको की खाड़ी

एनीमिया फोन (AnemiaPhone)

सामुदायिक नोट्स (Community Notes)

किसान ID को PM-Kisan (पीएम-किसान) से जोड़ना (Linkage of Farmer ID to PM-Kisan)

हिस्टेरेक्टॉमी (Hysterectomy)

एम्पोवहर बिज (EmpowHER Biz)

हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट

संदर्भ

- नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के आँकड़ों के अनुसार, हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 2024 में घटकर 910 हो जाएगा, जो 2016 के पश्चात् से सबसे कम है जब यह अनुपात 900 था।

परिचय

- 2019 में 923 के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के पश्चात्, हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 2024 में घटकर 910 हो जाएगा, जो आठ वर्ष का न्यूनतम स्तर है।
  - 2024 में हरियाणा में जन्म लेने वाले 516,402 बच्चों में से 52.35% लड़के होंगे, जबकि 47.64% लड़कियाँ होंगी।
- जन्म के समय लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुष जन्मों पर महिला जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- लिंग अनुपात किसी दी गई जनसंख्या में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का माप है।
- **अतीत में वृद्धि के कारण:**
  - **प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PNDT) अधिनियम, 1994:** 2014 और 2019 के मध्य प्राप्त लाभ PNDT अधिनियम के कठोर प्रवर्तन और गहन जागरूकता अभियान के कारण हुआ।
- **कमी का कारण:** दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, तथा हाल के वर्षों में कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों के प्रवर्तन में ढील दी गई है।
  - अब तक 'एकमात्र लड़का' की अवधारणा लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन घटती भूमि जोत के कारण परिवारों के एक वर्ग ने इसे अपनाना प्रारंभ कर दिया है।

भारत में लिंग अनुपात

- **जनगणना 2011:**
  - अखिल भारतीय स्तर पर लिंगानुपात 943 था तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए यह क्रमशः 949 और 929 है।
  - 0-19 आयु वर्ग के लिए लिंग अनुपात 908 था जबकि 60+ आयु वर्ग के लिए यह अनुपात 1033 था।
  - आर्थिक रूप से सक्रिय आयु समूह (15-59 वर्ष) में लिंग अनुपात 944 था।
  - लिंगानुपात सबसे अधिक केरल (1084) में था, उसके पश्चात् पुडुचेरी (1037) और सबसे कम दमन एवं दीव (618) में था, उसके बाद दादर एवं नगर हवेली (774) और फिर चंडीगढ़ (818) का स्थान था।
- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021:**
  - NFHS-5 के अनुसार, भारत में जन्म के समय समग्र लिंग अनुपात 929 था।
  - देश की जनसंख्या का लिंगानुपात 1020 अनुमानित किया गया था।

भारत में लिंगानुपात में ऐतिहासिक रूप से असंतुलन क्यों रहा है?

- **बेटों के लिए सांस्कृतिक वरीयता:** परिवार का नाम आगे बढ़ाने, धार्मिक अनुष्ठान करने और बुढ़ापे में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बेटों को प्राथमिकता दी जाती थी।
  - इससे बेटियों की उपेक्षा हुई, जिन्हें दहेज प्रथा के कारण वित्तीय भार के रूप में देखा गया।
- **लिंग भेदभाव:** लड़कियों को ऐतिहासिक रूप से पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के मामले में उपेक्षा का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण महिलाओं में मृत्यु दर अधिक रही है।

- **कन्या शिशु हत्या:** कुछ क्षेत्रों में कन्या शिशुओं को उनके कम मूल्य के कारण या तो छोड़ दिया जाता था या मार दिया जाता था।
- **लिंग-चयनात्मक गर्भपात:** अल्ट्रासाउंड जैसी चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति ने लिंग-चयनात्मक गर्भपात की प्रथा को संभव बनाया, जिसके परिणामस्वरूप असंगत संख्या में लड़कों का जन्म हुआ।
- **आर्थिक कारक:** कृषि प्रधान समाजों में, कृषि कार्य के लिए बेटों के श्रम को अधिक मूल्यवान माना जाता था, जिससे लड़कों के प्रति प्राथमिकता अधिक मजबूत हुई।

लिंगानुपात सुधारने के लिए सरकारी पहल

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP):** 2015 में प्रारंभ किए गए इस अभियान का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को दूर करना, बालिकाओं के मूल्य को बढ़ावा देना और लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना है।
  - यह बालिकाओं के कल्याण के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- **गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994:** यह कानून लिंग निर्धारण और लिंग-चयनात्मक गर्भपात पर प्रतिबंध लगाता है।
  - इसका उद्देश्य लिंग आधारित लिंग चयन के लिए प्रसवपूर्व निदान प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग पर रोक लगाना है।
- **सुकन्या समृद्धि योजना:** यह बालिकाओं के लिए एक बचत योजना है, जो परिवारों को अपनी बेटियों की भविष्य की शिक्षा और विवाह के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह लड़कियों के प्रति सकारात्मक धारणा को बढ़ावा देता है।
- **मातृत्व लाभ:** सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) जैसी योजनाओं के माध्यम से मातृत्व लाभ की शुरुआत की है, जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य परिवारों पर आर्थिक भार को कम करना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को समर्थन प्रदान करना है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM):** यह कार्यक्रम महिलाओं और लड़कियों की मृत्यु दर को कम करने के लिए मातृ स्वास्थ्य सहित महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर केंद्रित है।
- **जागरूकता अभियान और कानूनी सुधार:** सरकार लैंगिक समानता के महत्त्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाती है।

आगे की राह

- **सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा:** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को बालिकाओं के महत्त्व और लिंग भेदभाव के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जारी रखना चाहिए।
- **महिला स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में सुधार:** महिलाओं और लड़कियों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल पहुँच प्रदान करने से महिला मृत्यु दर को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- **सामाजिक मानदंड और दृष्टिकोण में परिवर्तन:** लिंग-संवेदनशील शिक्षा को बढ़ावा देना, लिंग समानता पर चर्चा में पुरुषों को शामिल करना और दहेज प्रथा से निपटना लड़कियों के प्रति पारंपरिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने में सहायता कर सकता है।
- **सशक्त डेटा संग्रहण और अनुसंधान:** लिंगानुपात असंतुलन के कारणों की निरंतर निगरानी एवं अनुसंधान से भविष्य में हस्तक्षेप करने और वर्तमान पहलों की सफलता पर नज़र रखने में मदद मिल सकती है।

Source: IE

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के संबंध में चिंताएँ

संदर्भ

- दिल्ली पुलिस ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आरोपी कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका का विरोध किया।

गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (UAPA) क्या है?

- UAPA कानून सरकार को आतंकवादी कृत्यों के लिए लोगों की जाँच करने और उन पर मुकदमा चलाने, तथा किसी संगठन को "गैरकानूनी संघ" या "आतंकवादी संगठन" या किसी व्यक्ति को "आतंकवादी" घोषित करने की शक्ति देता है।
- इसे राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पर अधिनियमित किया गया था, जिसकी स्थापना 1961 में देश को विभाजित करने वाली समस्याओं से निपटने के तरीके खोजने के लिए की गई थी।
    - हालाँकि, अपने मूल स्वरूप में यह अधिनियम मुख्यतः अलगाववादी गतिविधियों से निपटता था, तथा इसमें आतंकवाद का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था।

अधिनियम में संशोधन

- 2004 में, अधिनियम में प्रथम संशोधन किया गया, तथा इसके शीर्षक में "आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए" शब्द जोड़ा गया।
- 2008 में 26/11 के मुंबई हमलों के पश्चात्, संशोधनों के एक अन्य सेट ने अधिनियम में आतंकवाद की परिभाषा को व्यापक बना दिया, तथा लंबी कैद और अधिक कठोर जमानत शर्तों को पेश किया।
- 2012 में UAPA में संशोधन करके देश की "आर्थिक सुरक्षा" को आतंकवाद के दायरे में शामिल किया गया।
    - इसके अंतर्गत, कानून में जाली भारतीय मुद्रा के उत्पादन, तस्करी और वितरण को आतंकवादी कृत्य घोषित किया गया।
- 2019 के संशोधन ने सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति प्रदान की। तब तक केवल संगठनों को ही "आतंकवादी" घोषित किया जा सकता था।
    - इसकी आलोचना इस आधार पर की गई कि यह आपराधिक न्याय प्रणाली के उस आधारभूत सिद्धांत को उलट देता है, जिसके अनुसार प्रत्येक संदिग्ध को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि उसका दोष सिद्ध न हो जाए।

UAPA अधिनियम से जुड़ी चिंताएँ

- **कठोर जमानत प्रावधान:** UAPA किसी न्यायाधीश को जमानत देने से रोकता है, यदि पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात्, "यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है।"
    - यह प्रावधान जमानत चरण में आपराधिक मुकदमे के तत्वों को सम्मिलित करता है, जो निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत का खंडन करता है।
- **विस्तारित हिरासत:** UAPA बिना किसी औपचारिक आरोप के लंबे समय तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है, जिससे परीक्षण-पूर्व कारावास की अवधि बढ़ जाती है।
    - यह संविधान के अनुच्छेद 21 के विपरीत है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

- **परिभाषा में अस्पष्टता:** UAPA के तहत "गैरकानूनी गतिविधि" और "आतंकवादी कृत्य" की परिभाषा व्यापक और अस्पष्ट है, जिससे संभावित दुरुपयोग की संभावना है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** UAPA को कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और छात्रों के विरुद्ध लागू किया गया है, जिससे असहमति को दबाने की चिंता बढ़ गई है।
    - इसे अनुच्छेद 19 का उल्लंघन माना जा सकता है, जो वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- **अत्यधिक विवेकाधीन:** यह सरकार को व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है तथा गुप्त गवाहों का उपयोग करने और बंद कमरे में सुनवाई करने की क्षमता के साथ विशेष न्यायालयों के गठन को भी अधिकृत करता है।

आगे की राह

- **कानूनी सुधार:** अपराधों की स्पष्ट परिभाषा सुनिश्चित करने और कठोर जमानत प्रतिबंधों को कम करने के लिए UAP.A में संशोधन की आवश्यकता है।
- **न्यायिक निगरानी:** दुरुपयोग को रोकने के लिए आवधिक न्यायिक समीक्षा के लिए तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा:** असहमतिपूर्ण आवाजों के विरुद्ध कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए।

निष्कर्ष

- यद्यपि UAPA राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके कठोर प्रावधान नागरिक स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया के बारे में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।
- सुरक्षा खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के साथ-साथ संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए सुधारों और न्यायिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

Source:TH

18वाँ प्रवासी भारतीय दिवस एवं भारतीय डायस्पोरा

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया।

परिचय

- प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सम्मेलन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो भारतीय प्रवासियों से जुड़ने और उन्हें एक-दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- **विषय:** "विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान"।

भारतीय डायस्पोरा

- मई 2024 तक, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लगभग 35.42 मिलियन लोग थे, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा समुदाय बन गया।
- इसमें लगभग 15.85 मिलियन अनिवासी भारतीय (NRIs) और 19.57 मिलियन भारतीय मूल के लोग (PIOs) शामिल हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में सबसे अधिक भारतीय जनसंख्या रहती है, जो 5 मिलियन से अधिक है।

प्रवासी भारतीय दिवस

- प्रवासी भारतीय दिवस (PBD), जिसे अनिवासी भारतीय (NRI) दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है।
- यह दिन 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में भी मनाया जाता है।
- प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था और बाद में 2015 में इसके प्रारूप को संशोधित कर इसे प्रत्येक दो वर्ष में एक बार मनाया जाने लगा।

गिरमिटिया कौन हैं?

- गिरमिटिया ब्रिटिश भारत से आये हुए गिरमिटिया मजदूर थे, जिन्हें 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरम्भ में बागानों में कार्य करने के लिए भेजा गया था।
- गिरमिटिया को **फिजी, मॉरीशस, सेशेल्स, रियूनियन, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ब्रिटिश गुयाना (अब गुयाना), सूरीनाम, मलेशिया और केन्या** जैसे देशों में भेजा गया।
- श्रमिकों ने गिरमिट नामक एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत उन्हें एक ही नियोक्ता के लिए तीन से पाँच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए निश्चित वेतन पर कार्य करना था।

भारतीय डायस्पोरा का योगदान

- **सांस्कृतिक कूटनीति:** यह वैश्विक समुदाय के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करती है और भारतीय विरासत की समृद्धि को बढ़ावा देती है।
- **आर्थिक योगदान:** प्रवासी भारत के आर्थिक विकास में योगदान देने वाले धन प्रेषण और निवेश में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - भारत को 2023 में 125 बिलियन डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% था।
- **उद्यमिता:** विदेशों से भारत में स्टार्टअप स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर वापस आ रहे हैं, तथा नवाचार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- **राजनीतिक प्रभाव:** भारतीय प्रवासी लॉबिंग प्रयासों के माध्यम से राजनीतिक प्रभाव डालते हैं, तथा ऐसी नीतियों का समर्थन करते हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती हैं तथा भारत के सामरिक हितों को लाभ पहुँचाती हैं।

निष्कर्ष

- प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के महत्त्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालता है।
- यह वैश्विक संबंधों को मजबूत करता है और भारत के "विकसित भारत" के दृष्टिकोण को पुष्ट करता है, तथा राष्ट्रीय प्रगति एवं समृद्धि के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

Source: PIB

इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना

समाचार में

- इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर जनवरी 2025 से 11वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में सम्मिलित हो गया है।

- इंडोनेशिया को इसमें शामिल करना उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच ब्रिक्स के प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है।

BRICS का परिचय

- **परिभाषा:** ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी अनौपचारिक समूह है जिसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना और उनके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना है।
- **सदस्य:** ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन (ये संस्थापक सदस्य हैं); दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ; ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब 2024 में इसमें सम्मिलित होंगे।
  - पहले अर्जेंटीना के 2024 में इसमें शामिल होने की संभावना थी लेकिन बाद में उसने इससे बाहर निकलने का निर्णय किया।
- **पृष्ठभूमि:** पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था।

ब्रिक्स का महत्त्व

- **आर्थिक प्रभाव:** वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करता है:
  - वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 35% भाग है।
  - इसमें विश्व की 46% जनसंख्या सम्मिलित है, जो एक विशाल बाजार और कार्यबल उपलब्ध कराता है।
  - उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मध्य व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- **पश्चिमी प्रभुत्व का प्रतिसंतुलन:** यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं को G7 और अन्य पश्चिमी नेतृत्व वाली वित्तीय प्रणालियों को चुनौती देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
  - यह बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देता है, तथा अमेरिका एवं यूरोप जैसी प्रमुख शक्तियों पर निर्भरता को कम करता है।
- **स्थानीय मुद्राओं और गैर-डॉलर लेनदेन पर ध्यान केंद्रित करना:** इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना है।
  - स्थानीय मुद्राओं को मजबूत करना, वैश्विक व्यापार प्रथाओं को नया स्वरूप देना तथा डॉलर आधारित प्रणालियों की कमजोरियों को कम करना।
- **वैश्विक संस्थागत सुधारों का समर्थन:** IMF और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं में अधिक समानता एवं समावेशिता के लिए प्रयास।
  - वैश्विक निर्णय-निर्माण में विकासशील देशों के अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है।
- **उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मध्य सहयोग:** प्रौद्योगिकी, सतत् विकास और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
  - जलवायु परिवर्तन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ज्ञान साझा करने और संयुक्त प्रयासों को सुविधाजनक बनाना।
- **ऊर्जा एवं संसाधन सुरक्षा:** कई ब्रिक्स सदस्य ऊर्जा संसाधनों के प्रमुख उत्पादक या उपभोक्ता हैं, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता में रणनीतिक साझेदारी संभव हो पाती है।
- **बहुपक्षवाद के लिए समर्थन:** एकपक्षीय दृष्टिकोण की तुलना में सामूहिक समस्या समाधान पर जोर देकर बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत बनाता है।

ब्रिक्स के समक्ष चुनौतियाँ

- **विविध आर्थिक हित:** ब्रिक्स में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं वाले देश सम्मिलित हैं, जिनमें चीन एवं भारत जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से लेकर ब्राजील और रूस जैसे संसाधन संपन्न देश शामिल हैं।

  - ये मतभेद प्रायः व्यापार नीतियों, आर्थिक सुधारों और विदेशी निवेश जैसे मुद्दों पर परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं को जन्म देते हैं, जिससे समूह के अंदर सामान्य सहमति बनाना जटिल हो सकता है।
- **राजनीतिक मतभेद:** यद्यपि ब्रिक्स के सदस्य समान लक्ष्य साझा करते हैं, फिर भी उनकी राजनीतिक विचारधाराएँ और गठबंधन व्यापक रूप से भिन्न हैं।
  - सदस्य देशों के बीच तनाव (जैसे, चीन और भारत के बीच सीमा विवाद, रूस का पश्चिमी देशों के साथ भू-राजनीतिक तनाव) वैश्विक मुद्दों पर एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की समूह की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** चीन एवं भारत के मध्य तथा रूस और पश्चिमी देशों के बीच भू-राजनीतिक संघर्ष, ब्रिक्स के एकजुट होकर कार्य करने में चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
  - ब्रिक्स से बाहर के देशों के साथ प्रतिस्पर्धी गठबंधन, जैसे कि भारत के अमेरिका के साथ संबंध और रूस का पश्चिम से अलग-थलग होना, समूह के सामूहिक प्रभाव को प्रभावित कर सकता है।
- **वैश्विक बाजारों पर आर्थिक निर्भरता:** कई ब्रिक्स देश अभी भी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के प्रभुत्व वाले वैश्विक व्यापार नेटवर्क पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जो अमेरिकी डॉलर से पूरी तरह से दूर जाने या स्वतंत्र वित्तीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है।

Source: IE

जीनोम इंडिया परियोजना पूर्ण

संदर्भ

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव में जीनोम इंडिया परियोजना के पूर्ण होने की सराहना करते हुए इसे 'अनुसंधान की विश्व में एक ऐतिहासिक कदम' बताया।

जीनोम इंडिया परियोजना का परिचय

- इसे 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा लॉन्च किया गया था और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु द्वारा समन्वित किया गया था।
- इसमें देश भर की 99 अलग-अलग जनसंख्या के व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण शामिल था। यह भारत के 4600 जनसंख्या समूहों का लगभग 2% है।

जीनोम की समझ(Understanding Genomes)

- जीनोम किसी जीव में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) का पूरा समूह होता है, जिसमें उस जीव के विकास, कार्यप्रणाली और प्रजनन के लिए आवश्यक सभी आनुवंशिक जानकारी होती है।
  - जीवित जीवों में आनुवंशिक जानकारी DNA के लंबे अणुओं में संग्रहित होती है जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है।
- मनुष्यों में, जीनोम DNA के लगभग 3.05 बिलियन बेस जोड़ों से बना होता है, जो गुणसूत्रों के 23 जोड़ों में संगठित होते हैं।

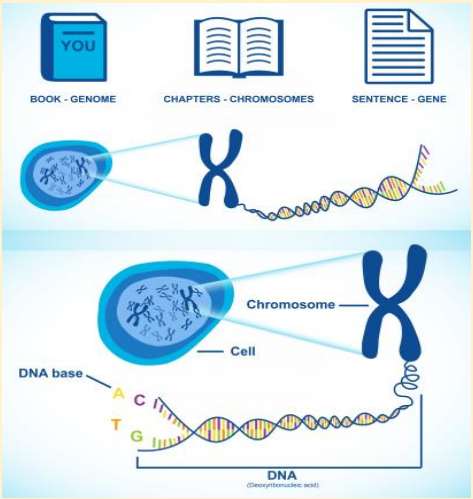

जीनोम के प्रमुख घटक

- **DNA.:** जीनोम DNA से बना होता है, जो एक दोहरे-रज्जुक वाला अणु है जिसमें चार प्रकार के क्षार होते हैं: एडेनिन (A), साइटोसिन (C), गुआनिन (G), और थाइमिन (T)।
  - ये क्षार (A, T के साथ तथा C, G के साथ) युग्म बनाकर DNA की सीढ़ी के पायदान बनाते हैं।
- **जीन:** DNA के खंड जो प्रोटीन या कार्यात्मक RNA अणुओं के लिए कोड करते हैं।
  - जीन आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाइयाँ हैं और किसी जीव के लक्षणों को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **गैर-कोडिंग क्षेत्र:** जीनोम के वे भाग जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, लेकिन उनमें विनियामक कार्य होते हैं, जैसे जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना।

जीनोम अनुक्रमण

- यह DNA अणु में आधार युग्मों के सटीक क्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है।
- यह वैज्ञानिकों को किसी जीव के जीनोम में निहित आनुवंशिक जानकारी को डिकोड करने की अनुमति देता है।

Do You Know?

- The **discovery that DNA** is structured as a **'double helix'** by **James Watson and Francis Crick** in 1953, for which they won a **Nobel Prize in 1962.**

जीनोम इंडिया परियोजना की प्रमुख उपलब्धियाँ

- **जीनोम अनुक्रमण का समापन:** परियोजना ने 10,000 व्यक्तियों के जीनोम का सफलतापूर्वक अनुक्रमण किया है (भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल पर संग्रहीत)।
- **बायोबैंक का निर्माण:** IISc के मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र में 20,000 रक्त नमूनों को रखने के लिए एक बायोबैंक की स्थापना की गई है।
  - इस बायोबैंक का उद्देश्य भविष्य के अनुसंधान प्रयासों को समर्थन देना है।
- **चरण 1 विश्लेषण:** 5,750 नमूनों की विस्तृत गुणवत्ता जाँच और संयुक्त जीनोटाइपिंग से भारतीय जनसंख्या में पाई जाने वाली दुर्लभ आनुवंशिक विविधताओं का पता चला है।
- **डेटा उपलब्धता:** जीनोम डेटा अब हरियाणा के फरीदाबाद स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC) में उपलब्ध है।
  - विश्व भर के शोधकर्ता आगे की जाँच के लिए इस डेटा तक पहुँच सकते हैं।

जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा पर प्रभाव

- **वैश्विक अनुसंधान को सशक्त बनाना:** IBDC पोर्टल और डेटा प्रोटोकॉल के आदान-प्रदान के लिए फ्रेमवर्क (FeED) का शुभारंभ मूल्यवान आनुवंशिक जानकारी तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करता है।
  - यह भारत को जीनोमिक्स में अग्रणी स्थान दिलाने के लिए तैयार है, जिससे भारतीय जनसांख्यिकी के अनुरूप जीनोमिक चिप्स का विकास संभव हो सकेगा।
  - ऐसी प्रगति से आनुवंशिक अध्ययनों की सटीकता बढ़ेगी और mRNA आधारित टीके, प्रोटीन निर्माण एवं आनुवंशिक विकार उपचार जैसे क्षेत्रों में नवाचारों में योगदान मिलेगा।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा:** रोग की रोकथाम और उपचार के लिए आनुवंशिक आधार प्रदान करके, यह परियोजना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण सुधार करेगी।

- **नवाचार को बढ़ावा:** यह डेटा भारतीय जनसांख्यिकी के अनुरूप जीनोमिक चिप्स के विकास में सहायक होगा, जिससे आनुवंशिक अध्ययनों की सटीकता बढ़ेगी।
- **नीति निर्माण में सहायता:** आनुवंशिक जानकारी नीति निर्माताओं को भारत की विविध जनसंख्या की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में सहायता करेगी।
- **जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** भारत की जैव-अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है, जो 2014 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, तथा अनुमान है कि 2030 तक यह 300 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी।
    - यह वृद्धि देश की बढ़ती क्षमताओं और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में योगदान का प्रमाण है।

मुख्य चिंताएँ

- **आनुवंशिक संशोधन जोखिम:** यदि जीनोमिक डेटा का उपयोग अधिक विवादास्पद उद्देश्यों, जैसे जीन संपादन, के लिए किया जाता है, तो इससे डिज़ाइनर शिशुओं के संबंध में नैतिक दुविधाएँ या अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
- **डेटा एवं भंडारण:** आनुवंशिक डेटा की गुमनामी सुनिश्चित करना तथा इसके संभावित दुरुपयोग को रोकना महत्त्वपूर्ण है।
    - क्लाउड प्लेटफॉर्म पर डेटा संग्रहीत करने से स्वामित्व और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
    - भारत में व्यापक डेटा गोपनीयता विधेयक का अभाव है, जिससे जीनोम इंडिया परियोजना के लिए जोखिम उत्पन्न हो रहा है।
- **सामाजिक मुद्दे:** आनुवंशिक अध्ययन रूढ़िवादिता को मजबूत कर सकते हैं और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे सकते हैं, विशेष रूप से नस्लीय शुद्धता एवं आनुवंशिकता के संबंध में।
    - भारत में 'स्वदेशी' जनसंख्या पर परिचर्चा आनुवंशिक मोड़ ले सकती है।
    - सुजननिकी और 'चयनात्मक प्रजनन' से संबंधित ऐतिहासिक विवाद इस विषय की संवेदनशील प्रकृति को उजागर करते हैं।

चुनौतियों पर विजय पाने के लिए कदम

- **नैतिक और सुरक्षित डेटा साझाकरण:** 2021 में प्रस्तुत किए गए बायोटेक-प्राइड दिशानिर्देश नैतिक और सुरक्षित डेटा साझाकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
    - इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत FeED प्रोटोकॉल का शुभारंभ यह सुनिश्चित करता है कि उच्च गुणवत्ता वाले, राष्ट्र-विशिष्ट डेटा को पारदर्शी, निष्पक्ष और जिम्मेदारी से साझा किया जाएगा।
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:** आनुवंशिक डेटा की संवेदनशीलता को देखते हुए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठोर उपाय लागू किए हैं।
    - केंद्रीय डाटाबेस पर अपलोड करने से पहले डेटा को अनामित और एनकोड किया जाता है।
    - डेटा तक पहुँच पाने के इच्छुक शोधकर्ताओं को विभाग के साथ सहयोग करना होगा और कठोर प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

Source: TOI

तिरुपति में भगदड़

संदर्भ

- तिरुपति में वैकुंठ द्वार दर्शन के दौरान भगदड़ मचने से जानमाल की हानि हुई है।

भगदड़ के बारे में

- भगदड़ भीड़ का एक आवेगपूर्ण सामूहिक आंदोलन है जिसके परिणामस्वरूप प्रायः चोटें और मृत्यु होती हैं।
    - जब दहशत फैलती है, तो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे डोमिनो प्रभाव (domino effect) उत्पन्न होता है, जिसमें लोग गिर जाते हैं और कुचले जाते हैं।
- यद्यपि प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु तिरुपति दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन भगदड़ की घटनाएँ दुर्लभ हैं।
- भारत में 1954 से 2012 तक हुई सभी भगदड़ों में से 79% घटनाएँ धार्मिक सामूहिक समारोहों में हुईं।

भगदड़ के कारण

- प्रकाश की कमी;
- भीड़ का प्रवाह अलग-अलग भीड़ में विभाजित न होना;
- बाधाओं, इमारतों का पतन;
- अवरुद्ध निकास, निकासी मार्ग;
- खराब बुनियादी ढाँचा डिजाइन (जैसे प्रवेश द्वार पर घूमने वाला दरवाजा होना); और
- आग का खतरा.

भगदड़ अधिकांशतः धार्मिक स्थलों पर ही क्यों होती है?

- **विशाल सभाएँ:** धार्मिक सभाओं में प्रायः लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जो आयोजन स्थल की क्षमता से कहीं अधिक होते हैं।
- **प्राचीन संरचनाएँ:** ये प्राचीन संरचनाएँ अपने संकीर्ण मार्गों, सीमित निकासों, तथा सीमित स्थानों में विशाल सभाओं के प्रबंधन में चुनौतियों के कारण बड़ी भीड़ को संभालने में असमर्थ हैं।
- **अन्य कारण:** खराब भीड़ प्रबंधन, उचित सुरक्षा उपायों की कमी और अपर्याप्त आपातकालीन प्रोटोकॉल स्थिति को भी खराब कर देते हैं।
- **हताहतों के कारण:**
    - भगदड़ में मृत्यु का प्राथमिक कारण आघात है, जो प्रायः कुंद बल की चोटों के कारण होता है।
    - कई दुर्घटनाएँ आघातजन्य श्वासावरोध के कारण होती हैं - जिसमें साँस आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाती है।
    - अन्य कारणों में हृदयाघात, आंतरिक अंगों को प्रत्यक्ष रूप से कुचलने वाली चोट, सिर में चोट और गर्दन पर दबाव शामिल हैं।

निवारक उपाय

- **बेहतर डिजाइन:** जहाँ सामूहिक समारोह आयोजित होते हैं, उन स्थानों के बेहतर डिजाइन के माध्यम से कई भगदड़ को रोका जा सकता है।
- **भीड़ घनत्व बनाए रखना:** भीड़ घनत्व (प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या) को यह निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कि सामूहिक समारोहों के लिए स्थान कैसे तय किया जाना चाहिए।
- **भीड़ प्रबंधन:** पर्याप्त स्थान, स्पष्ट संकेत और निर्दिष्ट प्रवेश/निकास बिंदु सुनिश्चित करना।
- **स्टाफ प्रशिक्षण:** भीड़ को प्रबंधित करने और जोखिमों को पहचानने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
    - वास्तविक समय निगरानी: भीड़ के घनत्व पर नजर रखने के लिए सेंसर और कैमरों का उपयोग करना।
- **सार्वजनिक संचार:** स्पष्ट घोषणाएँ और कार्यक्रम-पूर्व सुरक्षा दिशानिर्देश प्रदान करना।
- **आपातकालीन निकास:** सुनिश्चित करना कि अनेक, अच्छी तरह से चिह्नित आपातकालीन निकास हों।

- **क्रमबद्ध प्रवेश:** भीड़भाड़ से बचने के लिए समयबद्ध या क्रमबद्ध प्रवेश को लागू करना।
- **मौसम की तैयारी:** भीड़ के व्यवहार पर मौसम के प्रभाव के लिए योजना बनाना।
- **त्वरित प्रतिक्रिया:** चिकित्सा दल और निकासी योजनाएँ तैयार रखना।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

भारतपोल(BHARATPOL) पोर्टल

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में **केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI)** द्वारा विकसित **भारतपोल पोर्टल** का उद्घाटन किया।

भारतपोल पोर्टल

- भारतपोल, या अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध सहायता एवं वास्तविक समय पर कार्रवाई के लिए प्रसारण केंद्र, एक तकनीकी मंच है जिसे केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (INTERPOL) के मध्य वास्तविक समय समन्वय की सुविधा के लिए बनाया गया है।
- इसे डेटा(DATA साझाकरण के लिए एक संरचित एवं सुरक्षित इंटरफ़ेस प्रदान करके जाँच में तीव्रता लाने और अपराध नियंत्रण उपायों में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रमुख मॉड्यूल

- **कनेक्ट:** यह मॉड्यूल सभी भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB-NEW DELHI) के विस्तार के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है।
  - यह जाँच अनुरोधों एवं डेटा का त्वरित और सुरक्षित प्रसारण सुनिश्चित करता है।
- **इंटरपोल नोटिस:** यह पोर्टल घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर अपराधियों का पता लगाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जैसे इंटरपोल नोटिसों को तीव्रता से जारी करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है।
- **संदर्भ:** यह इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के डेटा एवं संदर्भों तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने की प्रक्रिया सुलभ हो जाती है।
- **प्रसारण:** यह मॉड्यूल अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अपराध से संबंधित जानकारी एवं अलर्ट को तुरंत साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **संसाधन:** क्षमता निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया, यह मॉड्यूल प्रभावी अपराध नियंत्रण संचालन के लिए दस्तावेज़ विनिमय एवं प्रबंधन का समर्थन करता है।

इंटरपोल क्या है?

- **इंटरपोल** एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है।
- **पृष्ठभूमि:** इसकी स्थापना **1923 में वियना में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (ICPC)** के रूप में की गई थी।
  - 1956 में, ICPC ने इंटरपोल नाम अपनाया।
- **सदस्य: भारत** सहित इसके **196** सदस्य देश हैं।
- **मुख्यालय: ल्योन, फ्रांस**

- **अधिदेश:** यह विश्व भर की पुलिस को जोड़ता है - तकनीकी रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं एकमात्र संगठन है जिसके पास पुलिस की जानकारी को वैश्विक स्तर पर साझा करने का अधिदेश और तकनीकी बुनियादी ढाँचा है।
- **राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB):** प्रत्येक देश में, एक इंटरपोल NCB जनरल सचिवालय एवं अन्य NCB के लिए संपर्क का केंद्रीय बिंदु प्रदान करता है।

भारत का रिकॉर्ड

- **भारत** 1949 में इंटरपोल में सम्मिलित हुआ।
- CBI (केंद्रीय जाँच ब्यूरो) भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है और इंटरपोल चैनलों के माध्यम से भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सभी अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग आवश्यकताओं का समन्वय करता है।

Source: PIB

ज़ेड-मोड़ सुरंग(Z-Morh Tunnel)

समाचार में

- जेड-मोड़ सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को करेंगे।

ज़ेड-मोड़ सुरंग(Z-Morh tunnel)

- यह कश्मीर और लद्दाख के मध्य वर्ष भर चलने वाला रणनीतिक गलियारा बनाने की एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है।
- **अवस्थिति**: यह सुरंग कश्मीर के **गंदेरबल** जिले में स्थित है और यह सोनमर्ग के पर्यटन स्थल को वर्ष भर सुलभ बनाए रखेगी, जो पहले सर्दियों में बर्फ एवं हिमस्खलन के कारण कट जाता था।
- **विशेषताएँ**: यह **थजीवास ग्लेशियर** के नीचे बनाया गया है और 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भूस्खलन एवं हिमस्खलन-प्रवण क्षेत्रों को बायपास करती है, जिसमें एक कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली है।
- **महत्त्व:**
  - यह सुरंग लद्दाख के लिए एक रणनीतिक मार्ग का हिस्सा है।
  - जेड-मोड़ सुरंग एशिया की सबसे लंबी ज़ोजिला सुरंग से जुड़ेगी, जो **गंदेरबल एवं कारगिल** के मध्य यात्रा के समय को **3 घंटे से घटाकर 20 मिनट** कर देगी।
  - यह माल एवं सैन्य संसाधनों को ले जाने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

Source :TH

मेक्सिको की खाड़ी

समाचार में

- मैक्सिको की खाड़ी का नाम परिवर्तित कर **"अमेरिका की खाड़ी"** रखने के प्रस्ताव ने ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक निहितार्थों पर परिचर्चा प्रारंभ की है।

मेक्सिको की खाड़ी का परिचय

- मेक्सिको की खाड़ी, जल का एक बड़ा हिस्सा है जो दक्षिण-पूर्वी एवं दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ मेक्सिको और क्यूबा की सीमा पर स्थित है।
- फ्लोरिडा के जलडमरूमध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। युकाटन चैनल के माध्यम से कैरेबियन सागर से जुड़ा हुआ है।

- खाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको एवं क्यूबा द्वारा साझा की जाती है, जिसमें अतिव्यापी आर्थिक क्षेत्र हैं।
- **प्रमुख जल निकासी नदियाँ: मिसिसिपी नदी, रियो ग्रांडे**
- **महत्त्व:** तेल, प्राकृतिक गैस, समुद्री भोजन एवं एक बड़े महाद्वीपीय शेल्फ में समृद्ध। शिपिंग मार्गों एवं पर्यटन उद्योगों के लिए महत्त्वपूर्ण।

Source: TH

एनीमिया फ़ोन(AnemiaPhone)

समाचार में

- कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित एनीमियाफोन एक लागत प्रभावी, त्वरित और सटीक तकनीक है जिसे एनीमिया के प्रमुख कारण आयरन की कमी का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - ICMR एनीमियाफोन को भारत भर में एनीमिया, महिला स्वास्थ्य और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित अपने चल रहे कार्यक्रमों में एकीकृत करेगा।

एनीमिया क्या है?

- एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम होती है।
- अगर इसका उपचार न किया जाए तो यह थकान, कमज़ोरी एवं कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिससे जीवन की समग्र गुणवत्ता और आर्थिक उत्पादकता प्रभावित होती है।

एनीमिया की व्यापकता

- भारत में एनीमिया एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, जिसमें विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों में व्यापकता की उच्च दर है:
    - 59% किशोर लड़कियाँ
    - 57% महिलाएँ (15-49 वर्ष)
    - 67% बच्चे (6-59 महीने)
- ये आँकड़े NFHS-5 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) के आंकड़ों को दर्शाते हैं, जो इस स्थिति की व्यापक प्रकृति को रेखांकित करते हैं।

Source: TH

सामुदायिक नोट्स (Community Notes)

संदर्भ

- मेटा अमेरिका में तथ्य-जाँचकर्ताओं द्वारा पोस्ट किए गए तथ्य-जाँच को समाप्त कर देगा, तथा उनके स्थान पर '**सामुदायिक नोट्स**' प्रणाली स्थापित करेगा।

परिचय

- नौ वर्ष पूर्व, मेटा ने बाहरी तथ्य-जाँचकर्ताओं की सहायता से **फाल्स न्यूज़(फर्जी खबरों)** को चिन्हित करने की शुरूआत किया था।
- अब तक, अंतर्राष्ट्रीय तथ्य-जाँच नेटवर्क (IFCN) द्वारा प्रमाणित तथ्य-जाँचकर्ता एवं विशेषज्ञ मेटा के प्लेटफ़ॉर्म पर संभावित गलत सूचनाओं की स्वतंत्र रूप से समीक्षा और रेटिंग कर सकते थे।
- **तथ्य जाँच के पश्चात्:(Post Fact Checking):**

- मेटा यह सुनिश्चित करेगा कि IFCN-प्रमाणित तथ्य-जाँचकर्ताओं द्वारा गलत मानी गई प्रत्येक सामग्री उपयोगकर्ताओं को कम दिखाई देगी।
- यह ऐसी सामग्री के नीचे एक चेतावनी लेबल भी जोड़ेगा, जो तथ्य-जाँचकर्ता द्वारा प्रकाशित लेख से लिंक होगा।

सामुदायिक नोट्स (Community Notes)

- कम्युनिटी नोट्स को प्रथम बार 2021 में **ट्विटर** द्वारा '**बर्डवॉच**' नामक कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था।
- यह एक **क्राउडसोर्स्ड तथ्य-जाँच मॉडल** है जो उपयोगकर्ताओं को किसी विशिष्ट पोस्ट के नीचे तथ्य एवं संदर्भ जोड़ने की अनुमति देता है।
  - सामुदायिक नोट किसी पोस्ट के नीचे तभी दिखाई देता है जब पर्याप्त योगदानकर्ता वोट देते हैं कि यह जो संदर्भ प्रदान करता है वह सहायक है।
  - परिणामस्वरूप, कहा जाता है कि जैसे-जैसे अधिक उपयोगकर्ता भाग लेते हैं, मॉडल बेहतर होता जाता है।
- वर्तमान में, एक्स (X) पर कोई भी व्यक्ति योगदानकर्ता बन सकता है और सामुदायिक नोट्स जोड़ सकता है, बशर्ते वे कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करते हों, जैसे कि छह माह पुराना खाता होना, सत्यापित फ़ोन नंबर होना एवं एक्स(X) के नियमों का कोई उल्लंघन न होना।

Source: IE

किसान ID को PM-Kisan(पीएम-किसान) से जोड़ना

समाचार में

- सरकार ने **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)** योजना में नामांकन के लिए नए आवेदकों के लिए किसान ID प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।

परिचय

- किसान ID को राज्य के भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा और इसमें जनसांख्यिकी, बोई गई फसलें एवं स्वामित्व संबंधी जानकारी जैसे विवरण दिए जाएँगे।
- इस कदम का उद्देश्य आवेदक के पास भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित करके पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) का परिचय

- PM-KISAN एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 24 फरवरी 2019 को भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रारंभ किया गया था।
- इस योजना के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में तीन बराबर चार-मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।
  - एक संसदीय पैनल ने PM-KISAN के तहत वार्षिक भुगतान को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का सुझाव दिया है।
- **कई डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण:** PM-KISAN पोर्टल को प्रमुख राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ सहजता से एकीकृत किया गया है जैसे:
  - आधार प्रमाणीकरण के लिए UIDAI(भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण),
  - वित्तीय हस्तांतरण के लिए PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली),

- सुरक्षित भुगतान के लिए NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम),
- आय सत्यापन के लिए आयकर विभाग।

Source: IE

हिस्टेरेक्टॉमी (Hysterectomy)

समाचार में

- अत्यधिक सीजेरियन ऑपरेशन एवं अनावश्यक हिस्टेरेक्टॉमी की संभावना के बारे में चिंता बढ़ रही है।

हिस्टेरेक्टॉमी का परिचय

- हिस्टेरेक्टॉमी एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें महिला के गर्भाशय को निकाल दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि अब उसे मासिक धर्म नहीं होगा एवं वह गर्भवती नहीं हो सकेगी।
  - गर्भाशय वह स्थान है जहाँ महिला के गर्भवती होने पर बच्चा बढ़ता है।
- कुछ मामलों में अंडाशय एवं फैलोपियन ट्यूब को भी हटा दिया जाता है।
  - यदि दोनों अंडाशय निकाल दिए जाएँ तो महिला **रजोनिवृत्ति** में प्रवेश कर जाएगी।
- **सामान्य कारण:** फाइब्रॉएड, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, बहुत भारी या दर्दनाक पीरियड्स, एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय, ग्रीवा या डिम्बग्रंथि का कैंसर।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** अनावश्यक हिस्टेरेक्टॉमी गंभीर शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भार का कारण बनती है।
  - समय से पहले रजोनिवृत्ति, वजन बढ़ना, एवं हृदय रोग और मधुमेह जैसे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ना इसके कुछ परिणाम हैं।
- **उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप:** उच्चतम न्यायालय ने बिहार, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में अनावश्यक हिस्टेरेक्टॉमी की निगरानी के लिए दिशा-निर्देश लागू करने का निर्देश राज्यों को दिया है।

Source: TH

एम्पोवहर बिज़ (EmpowHER Biz)

समाचार में

- नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (WEP) ने अपने अवार्ड टू रिवार्ड (ATR) कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी 24/7 सुविधा खुदरा शृंखला न्यू शॉप के साथ साझेदारी में एम्पोवहर बिज़ - सपनों की उड़ान लॉन्च किया।

एम्पोवहर बिज़ की मुख्य विशेषताएँ

- **उद्देश्य:** महिलाओं को खुदरा प्रबंधन, डिजिटल उपकरण, वित्तीय साक्षरता और व्यवसाय विकास में प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - महिला उद्यमियों के विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करें।
- **कार्यक्रम की विशेषताएँ:**
  - **मार्गदर्शन और व्यापक प्रशिक्षण:** खुदरा कौशल और उद्यमशीलता विकास पर केंद्रित।
  - **फ्रेंचाइज़ अवसर:** 50 प्रतिभागियों (18-35 वर्ष की आयु) का चयन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
    - शीर्ष 20 प्रतिभागियों को न्यू शॉप फ्रैंचाइज़ शुल्क पर 100% छूट मिलेगी, जिससे वे खुदरा दुकानों का स्वामित्व और संचालन करने में सक्षम हो जाएँगे।

- **लक्षित क्षेत्र:** दिल्ली NCR, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की महिलाएँ पात्र हैं।

महिला उद्यमिता मंच (WEP) का परिचय

- **स्थापना:** 2018 में नीति आयोग द्वारा, 2022 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में परिवर्तित।
- **फोकस क्षेत्र:** वित्त तक पहुँच, बाजार संपर्क, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, अनुपालन सहायता एवं व्यवसाय विकास।
- **ATR पहल:** हितधारकों के लिए प्रभावशाली कार्यक्रम विकसित करने हेतु एक प्लग-एंड-प्ले ढाँचा, जो 2023 से सक्रिय है।

Source: TH

■■■■